भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 672**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**ऋण देने हेतु नकदी-प्रवाह-आधारित प्रणाली का प्रयोग**

672. श्री मोहम्‍मद अली खान :

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार को यह सुनिश्‍चित करने की आवश्‍कता है कि बैंक ऋण देने हेतु संपार्श्‍विक आधारित प्रणाली की बजाय नकदी-प्रवाह-आधारित प्रणाली का प्रयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और इस संबंध में आंध्र प्रदेश सहित प्रत्‍येक राज्‍य की क्‍या राय है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) और (ख) :** बैंक अपने निदेशक मंडल द्वारा संचालित नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित ऋण नीति तैयार करें, जिसमें व्‍यक्‍तियों/समूह उधारकर्ताओं के लिए निवेश सीमा, प्रलेखीकरण मानदण्‍ड, मार्जिन, प्रतिभूति, क्षेत्रीय निवेश सीमा, शक्‍तियों का प्रत्‍यायोजन, परिपक्‍वता और लागत नीतियां, ब्‍याज दरों का निर्धारण करने के लिए विचारार्थ कारकों आदि का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि उधारदाता यह सुनिश्‍चित करें कि उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्‍तुत ऋण आवेदन का उचित मूल्‍यांकन हो। उन्‍हें मार्जिन और प्रतिभूति शर्त को उधारकर्ता की ऋण पात्रता की सम्‍यक तत्‍परता के लिए स्‍थानापन्‍न के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जहां कहीं आवश्‍यक हो, पणधारकों से परामर्श करता है तथा उनके विचार प्राप्‍त करता है।

\*\*\*\*\*